



भारत का राजपत्र The Gazette of India

GENERAL SECRETARY
17/12

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1982/आश्विन 7, 1904

No. 282]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 29, 1982/ASHVINA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिमूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1982

सांस्कृतिक 576 (अ) --होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 (1973 का 59) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (निर्वाचन) नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् --

1. (1) इन नियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (निर्वाचन) संशोधन नियम, 1982 है।
- (2) ये सरकारों राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (निर्वाचन) नियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 11 में,
 - (क) उप-नियम (2) के खण्ड (ग) में जोड़ दिया जायेगा।
 - (ख) खण्ड (च) में शब्द निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा अर्थात्
 - (छ) प्रस्तावक या भूमयक के हस्ताक्षर से नियम 9 के उप-नियम (1क) के उपबन्धों का उल्लेख होता हो।"

3. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् --

"(23) संघान या विभाग द्वारा निर्वाचन-विश्वविद्यालय के होम्योपैथी संघान या विभाग के (चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो) सदस्य-केन्द्रीय परिषद के एक सदस्य के रूप में निम्नलिखित रीति से अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे अर्थात् --

- (क) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार निर्वाचन की तारीख समय और स्थान प्रत्येक सदस्य को उस बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सूचित करेगा जिन बैठक में यह निर्वाचन कराने का विचार है।
- (ख) बैठक में उपस्थित कोई भी सदस्य, किसी अन्य उपस्थित सदस्य के नाम का प्रस्ताव करने का हक्कदार होगा और ऐसे प्रस्ताव के लिए यह अपेक्षित होगा कि उसके प्रस्तावक या जिन व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया गया है, उससे पहले कोई सदस्य उसका अनुमोदन करे। परन्तु एक सदस्य एक ही नाम प्रस्तावित या अनुमोदित करने का हक्कदार होगा।
- (ग) कोई भी अर्धवर्षी, वास्तविक निर्वाचन होने के पूर्व अपना अर्धवर्षीत वापस ले सकेगा।

- (ग) यदि एक ही प्रार्थनी का नाम सम्यक् रूप से प्रस्तावित या अनुमोदित किया जाता है, तो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार पुराने ऐसे व्यक्ति को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।
- (घ) यदि सम्यक्तः प्रस्तावित और अनुमोदित प्रार्थनियों की संख्या एक से अधिक है तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा।
- (ङ) वास्तविक निर्वाचन के प्रारंभ के पूर्व विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार सदस्यों को मतपेटी का निरीक्षण करने के लिए यदि वे ऐसा करना चाहें, तो आश्विन करेगा और तत्पश्चात् वह उस मतपेटी में ताला लगा देगा।
- (च) वास्तविक निर्वाचन की तारीख को, बैठक में उपस्थित सदस्य, एक-एक करके उस सूची में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेंगे जिसमें सभी सदस्यों का नाम वर्णक्रम में लिखे हैं और जो मतपेटी के पास रखी है।
- (ज) जब सदस्य उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर कर लेगा तब उसे एक मत पत्र दिया जायेगा जिसमें सभी प्रार्थनियों के नाम और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे। वह ऐसे मतपत्र को उस पर अपनी पसंद के प्रार्थनी के नाम के सामने (X) चिह्न लगाकर मतपेटी में डाल देगा।
- (झ) जैसे ही उपस्थित और मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिकोण सभी सदस्य ऐसा कर लेंगे, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ऐसे प्रार्थनियों की उपस्थिति में, जो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हों, मतपेटी खोलेंगे और उनमें से सभी मतपत्र बाहर निकालेंगे, उनका निरीक्षण करेगा और यदि किसी भी मतपत्र को अविधिमार्ग्य मानकर प्रस्वीकार कर देगा, जिस पर—
- (क) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर नहीं हैं, या
- (ख) सदस्य अपना नाम या कोई शब्द लिख देता है या कोई ऐसा चिह्न बना देता है जिससे यह पहचान हो सकती है कि वह उसका मतपत्र है,
- (ग) कोई मत-चिह्न नहीं लगाया जाता है, या
- (घ) प्रयुक्त मत अनिश्चितता है, या
- (ङ) मत एक से अधिक प्रार्थनी के हक में दिया गया है:
- (ञ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, विधिमार्ग्य मतों को उन प्रार्थनियों के अनुसार जिनके हक में वे डाले गए हैं व्यवस्थित करेगा और उनकी गणना प्रत्येक प्रार्थनी के लिए पृथक्तः करेगा:
- (ट) गणना समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रार्थनी द्वारा प्राप्त किये गये मतों के बारे में बैठक बोधना करेगा और वह विधिमार्ग्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाले प्रार्थनी को केन्द्रित परिषद् के सदस्य के रूप में सम्यक्तः निर्वाचित भी घोषित करेगा।
- (ठ) यदि दो या अधिक प्रार्थनियों को बराबर-बराबर मत प्राप्त होते हैं और ऐसे मतों की संख्या, बराबर संख्या में मत प्राप्त करने वाले ऐसे हों या अधिक प्रार्थनियों से पिन किसी प्रार्थनी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से अधिक है, तो

ऐसे प्रार्थनियों के बीच अवधारण लाटरी द्वारा किया जायेगा और जित प्रार्थनी की लाटरी निकलती है, उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

4. उक्त नियमों के उपाबद्ध प्रपत्र 4 में, पैरा 1 के उप-पैरा (घ) और पैरा 2 के उप-पैरा (क) में 'रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा' शब्दों के स्थान पर 'डाक द्वारा' शब्द रखे जायेंगे।

[सं० बी 26011/1/78-होम्यो]

पी०पी० चौहान, संयक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1982

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 32 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Homoeopathy Central Council (Election) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 11 of the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the said rules),

(a) clause (c) of sub-rule (2) shall be omitted;

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

“(g) that the signature of the proposer or the seconder is in violation of the provisions of sub-rule (IA) of rule 9.”

3. For rule 23 of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—

“23. Election by Faculty or Department.—The members of the Faculty or Department (by whatever name called) of Homoeopathy of the University shall elect one member from amongst themselves as a member of the Central Council in the following manner, namely :—

(a) the date, time and place of the election shall be intimated to each of the members by the Registrar of the University at least thirty days before the date of meeting in which the election is proposed to be held;

(b) any member present at the meeting shall be entitled to propose a name of any member present, and such proposal shall be required to be seconded by a member other than the proposer or the one whose name is proposed;

Provided that one member shall be entitled to propose or second only one name;

(c) any candidate may withdraw his candidature before the actual election;

(d) if the name of only one candidate is duly proposed and seconded, the Registrar of the University shall forthwith declare such candidate as duly elected;

(e) if the number of candidates duly proposed and seconded exceeds one, an election shall be held by secret ballot;

(f) before the commencement of the actual election, the Registrar of the University shall invite the members to inspect the ballot box, in case they may like to do so, and he shall then lock the box;

- (g) on the date of actual election, the members present in the meeting shall, one by one, sign against their names in the list which contains the names of all the members in alphabetical order and is placed along the side of the ballot box;
- (h) after a member has signed his name in the said list, he shall be given a ballot paper containing the names of all the candidates and signature of the Registrar of the University, which he shall drop into the ballot box after affixing thereon a cross(x) mark against the name of the candidate of his choice;
- (i) as soon as all the members present and wishing to exercise the right to vote have done so, the Registrar of the University, shall, in the presence of the candidates who may be present in person, open the ballot box and take out from it all the ballot papers, examine them and reject as invalid any ballot paper;
- (A) if it does not bear the signature of the Registrar of the University; or
- (B) if the member signs his name or writes any word or makes any mark on it by which it becomes recognisable as his ballot paper; or
- (C) if no vote is recorded thereon; or
- (D) if there is uncertainty of the vote exercised; or
- (E) if the vote has been given in favour of more than one candidates;
- (j) the Registrar of the University shall then proceed to arrange the valid vote according to the candidates in whose favour they have been cast and count them separately for each candidates;
- (k) after the counting is over, the Registrar of the University shall make an announcement in the meeting about the votes secured by each of the candidates and he shall also declare the candidate securing the largest number of valid votes as duly elected to be a member of the Central Council;
- (l) in the event of two or more candidates securing the same number of votes and that number being more than the number of votes secured by any candidate other than the two or more securing the same number of votes, the determination as between such candidates shall be by draw of lots and the candidate on whom the lot falls, shall be declared elected."

4. In Form IV annexed to the said rules, in sub-paragraph (d) of the first paragraph and in sub-paragraph (a) of paragraph 2, for the words "by registered post", the words "by post" shall be substituted.

[No. V 26011/1/78-Homceo]
P. P. CHAUHAN, It. Secy.

